रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 1975/भाद्र 31, 1897
No. 379] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 1975/BHADRA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd September 1975

S.O. 532(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 624(E)/18FB/IDRA/72 dated the 25th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as M/s. Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam, in the State of Andhra Pradesh is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto the 24th September, 1973 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 24th September, 1973;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 511(E)/18FB/IDRA/73 dated the 21st September, 1973, the duration of the said Order was extended upto the 24th September, 1974;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 539(E)/18FB/IDRA/74 dated the 12th September, 1974, the duration of the said Order was further extended upto the 24th September, 1975;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended further upto the 24th September, 1976;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 24th September, 1976.

[No. F.2/19/72-CUC]

R. K. TIKKU, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1975

का० आ० 532 (अ)/18 एफ बी/आई०डी०आर०ए०/75.—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 624 (अ)/18, एफ बी/आई०डी० आर ए/72 तारीख 25 सितम्बर, 1972 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्र, करार, समझौते, पंचाट, अस्थायी आदेश या अन्य लिखत जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य में मसर्स आंध्र सांइटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछली पत्तनम् नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, प्रवर्तन 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेंगे।

और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 511 (अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/73 तारीख 21 सितम्बर, 1973 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 24 सितम्बर, 1974 तक बढ़ाई गई थी ;

और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 539 (अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/74 तारीख 12 सितम्बर, 1974 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 24 सितम्बर, 1975 तक और बढ़ाई गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 24 सितम्बर, 1976 तक और बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश की अवधि 24 सितम्बर, 1976 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 2/19/72–सी० यू० सी०]

रूप कृष्ण टिक्कू, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975